तैयारी | प्रदेश के पांचों विद्युत वितरण कंपनियों के अत्याधुनिकीकरण और विस्तार का प्रस्ताव, मीटर से लेकर फीडर तक व्यवस्थाएं सुधरेंगी

यूपी की बिजली व्यवस्था 43 हजार करोड़ से आधुनिक होगी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी सरकार बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने के साथ ही विस्तार योजनाओं पर 43 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। मीटर से लेकर फीडर तक की व्यवस्थाएं चाक चौबंद होंगी। इस योजना के तहत प्रदेश की पांचों विद्युत वितरण कंपनियों की अलग-अलग कार्ययोजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जिले के लिए अलग से 1309 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तावित है।

बिजली महकमें के अधिकारियों ने इस वृहद योजना का प्रस्तुतिकरण हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष किया था।

मध्यांचल के लिए 10146 करोड़ रुपये की कार्ययोजना: इस 42968.55 करोड़ रुपये की वृहद योजना के तहत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के लिए 8759.87 करोड़ रुपये की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के लिए 10146 करोड़ रुपये, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के लिए 12300 करोड़ रुपये, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के लिए 10563 करोड़ रुपये तथा केस्को (कानपुर) के लिए 1198 करोड़ रुपये की कार्ययोजना प्रस्तावित है। इसके अलावा पूर्वांचल, मध्यांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के तहत ढाई लाख से अधिक घरों के विद्युतीकरण के लिए 917 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं।

वितरण कंपनियों की कार्ययोजना

दक्षिणांचल-12300 करोड़ रुपये
पश्चिमांचल- 10563 हजार करोड़
पूर्वांचल- 8759.87 करोड़ रुपये
मध्यांचल- 10146 करोड़ रुपये
केस्को- 1198 करोड़ रुपये

वाराणसी, अयोध्या, और कानपुर के लिए अलग व्यवस्था: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बिजली व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए 1309 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। यहां पर स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉसेस पर 307.70 करोड़ रुपये, अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर 513.58 करोड़ रुपये और आधुनिकीकरण व विस्तारीकरण पर 488.10 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। नोएडा के लिए 1535 करोड़, अयोध्या के लिए 1200 करोड़ रुपये और कानपुर के लिए 823 करोड़ रुपये से बिजली व्यवस्था के आधुनिकीकरण की तैयारी है।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य नहीं हो सकता : परिषद

लखनऊ। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया है कि अब तक स्मार्ट मीटर के बारे में जो व्यवस्था है, उसमें डिस्कनेक्शन व री-कनेक्शन पर का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक है। बैलेंस जीरो होने पर प्रति मैसेज 10 रुपये चार्ज किया जाना भी असंवैधानिक है। उन्होंने कहा है कि पावर कारपोरेशन को यह मालूम होना चाहिए कि विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-56 में किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन बकाया पर काटने से पहले 15 दिन की लिखित नोटिस देने का नियम है। कारपोरेशन को यह भी जान लेना चाहिए कि विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 47(5)के तहत उपभोक्ताओं के परिसर पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य नहीं किया जा सकता है।